रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273347
CG-DL-E-11062026-273347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948
No. 408]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

सा.नि.का. 455(अ).— राष्ट्रपति, एतद्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक भूविज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूविज्ञान शाखा, समूह 'ख' और 'ग' भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक वे सहायक भूविज्ञानी के पद से संबंधित हैं, उन चीजों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सहायक भूवैज्ञानिक भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर, में वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन / अचयन पद है	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक भूविज्ञानी	300* [2026] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47,600 - ₹1,51,100)	चयन पद	32 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**अनिवार्य अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या खनिज अन्वेषण या समुद्री भूविज्ञान या भू विज्ञान में मास्टर-डिग्री या समेकित मास्टर डिग्री। **टिप्पण:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार पर शिथिल की जा सकेंगी।

क्या सीधी भर्तियों के लिए विहित आयु सीमा- और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा की सफल समाप्ति के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कम से कम दो सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण ।	(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक)संविदा सहित(द्वारा की जाएगी।	**<u>प्रोन्नति</u>** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) में विभागीय ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूविज्ञान), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण तथा प्रयोगशाला संबंधी कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण- 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक कम न हों तथा उन्होंने अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **1.** निदेशक (भूविज्ञान), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **अध्यक्ष**; **2.** अधीक्षक भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य**; **3.** उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य।**	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों के अधिकारी: (क) **(i)** मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; **(ii)** मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) अथवा समकक्ष स्तर के पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं रखते हों; और (ग) भूवैज्ञानिक मानचित्रण या खनिज अन्वेषण या पूर्वेक्षण का 02 वर्ष का अनुभव या भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला (शैलिकीय प्रयोगशाला या भूकालानुक्रमिकी और आइसोटोप भूविज्ञान प्रयोगशाला या पुराजीवाश्मिकीय प्रयोगशाला या भूतकनीकी प्रयोगशाला)	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **1.** निदेशक (भूविज्ञान), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **अध्यक्ष**; **2.** अधीक्षक भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य**; **3.** उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – **सदस्य।**	

			में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी श्रेणी में आते हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारण किए गए किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-प्राप्ति की अंतिमतारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 4/1/2023-खान II (भाग-1)]

गीतिका शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

G.S.R. 455(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Geology Stream, Group 'B' and Group 'C' Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the post of Assistant Geologist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Geologist in the Geological Survey of India, Ministry of Mines namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Assistant Geologist Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .-** No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limits for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Assistant Geologist.	300* [2026] *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service ,Group- B, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection post.	Not exceeding Thirty-two years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**.- The crucial date for determining	**<u>Essential Qualification</u>**: Master's degree or Integrated Master's degree in Geology or Applied Geology or Mineral Exploration or Marine Geology or Earth Science from a recognised University or institute. **Note**.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

					the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note**.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration conducted by the Geological Survey of India Training Institute for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	**(i)** Seventy-five per cent by direct recruitment through Combined Geo-Scientist Examination conducted by the Union Public Service Commission. **(ii)** Twenty-five per cent by promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion**: The departmental Senior Technical Assistant (Geology) in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two weeks' training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute in Geological Mapping, Mineral Exploration and laboratory related works. **Note**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director (Geology), Geological Survey of India - **Chairperson;** 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India – **Member**; 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – **Member**. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

			already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)** : Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits under column (7); and (c) having two years' experience of Geological Mapping or Mineral Exploration or prospecting or two years' experience of work in Geological Laboratories (Petrology laboratory or Geochronology and Isotope Geology laboratory or Palaeontological laboratory or Geotechnical laboratory). **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	1. Director (Geology), Geological Survey of India - **Chairperson;** 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India – **Member**; 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – **Member**.	

			Note 2.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. 4/1/2023-Mines.II (Part-1)]

GEETIKA SHARMA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.11 16:16:00 +05'30'